उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.

दूरभाष : 0135.2608125 फैक्स : 2608126
ई मेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांक: 266 / ग्रा01-03(iii)/URRDA/14 दिनांक: 05 ~~मार्च~~ मई,2015

दिनांक 15.04.2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में पी0एम0जी0एस0वाई0 में कार्यरत अधिकारियों के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 15-04-2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून की अध्यक्षता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई जिसमें मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता उपस्थित रहे, अधिकारियों की उपस्थिति सूचना साथ में सलंग्न है (सलंग्नक-'क')। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य अभियन्ता यू0आर0आर0डी0ए0 को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। निर्धारित एजेन्डा के अनुसार कार्यवृत्त निम्नानुसार है –

1. **वित्तीय वर्ष 2014-15 की वित्तीय, भौतिक एवं संयोजकता की प्रगति समीक्षा** – वित्तीय वर्ष 2014-15 में Program fund के अंतर्गत निर्धारित रू0 424.79 करोड़ वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष रू0 424.68 करोड़ (लगभग 100 प्रतिशत) उपलब्धि अर्जित करने तथा भौतिक लक्ष्य 652.79 किमी0 के सापेक्ष 725.32 किमी0 (लगभग 111 प्रतिशत) उपलब्धि अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा शतप्रतिशत प्रगति अर्जित करने वाले अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। निर्देश दिये गये कि आगे भी प्रगति की यही गति बनायी रखी जाये। कुछ पी0आई0यू0 द्वारा लक्ष्य से कम प्रगति अर्जित की गई उनको भी, भविष्य के लिए प्रगति लक्ष्यों के सापेक्ष रखने के निर्देश दिये गये।
2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराये गये रेस्टोरेशन कार्यों की समीक्षा –
    1. **अल्मोड़ा वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 18 कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 12 कार्यों में से माह अप्रैल तक 05, माह जून तक 05, माह नवम्बर तक 01 कार्य एवं माह मार्च-16 तक 01 कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया तथा 01 कार्य अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।
    2. **ज्योलीकोट वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 24 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 05 कार्यों में से माह अप्रैल तक 01, माह मई तक 02, पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया तथा 02 कार्य अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त कर दिये गये।
    3. **पिथौरागढ़ वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 28 कार्यों में से 19 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 09 कार्यों में से माह जून-2015 तक 06, पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया तथा 03 कार्य अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त कर दिये गये।
    4. **मसूरी वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 71 कार्यों में से 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 46 कार्यों में से माह अप्रैल-15 तक 03 कार्य मई-2015 तक 12 कार्य जून-15 तक 25 तथा 01 कार्य माह जुलाई-15 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया इसके अतिरिक्त 02 कार्य अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त कर दिये गये और 03 कार्य आतिथि तक अनारम्भ हैं।
    5. **गोपेश्वर वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 36 कार्यों में से 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 15 कार्यों में से 05 कार्य मई-2015 तक तथा 10 कार्य एवं जून-15 तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया।
    6. **श्रीनगर वृत्त** – दैवीय आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 43 कार्यों में से 22 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अवशेष 21 कार्यों में से माह जून-15 तक 20 तथा 01 कार्य अन्य श्रोतों से धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

...2

3. **सामान्य रखरखाव में कराये गये व्यय की प्रगति समीक्षा** – अनुरक्षण मद में वर्ष 2014–15 में आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की समीक्षा की गई। कुल आंवटित धनराशि रू0 1670.64 लाख के सापेक्ष दिनांक 31–03–2015 तक रू0 1640.00 व्यय सूचित किया गया। कुछ खण्ड़ में अनुरक्षण की धनराशि पूर्ण रूप से व्यय नहीं की गई है। निर्देश दिये गये कि उपभोग नहीं की गई धनराशि की सम्पूर्ण सूचना तत्काल ई–मेल के माध्यम से यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की जाये।

   मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि सामान्य अनुरक्षण मद में जो भी कार्य कराये गये हैं तथा उसके सापेक्ष जो भी धनराशि व्यय की गई हैं उसके सत्यापन एवं स्थलीय जांच एस0क्यू0एम0 एवं विभागीय उच्चाधिकारियों के माध्यम से करायी जाय तथा जो भी कमियां परिलक्षित हो उन पर भी कार्यवाही करते हुए भविष्य के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनुरक्षण मद में सही सदपयोग किये जाने हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाय।

4. **वित्तीय वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना (Regular PMGSY & RRP-II)** – सभी अधीक्षण अभियन्ताओं से उनके वृत्त के अधीन कार्यरत खण्डों के वर्ष–2015 की कार्ययोजना (Regular PMGSY & RRP-II) प्रपत्र पी0–9 द्वारा पी0आई0यू0 में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

5. **फेज–3 से 8 तक के मार्च, 15 तक पूर्ण किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा तथा जो लक्षित कार्य पूर्ण नहीं किये गये, उनके कारणों की समीक्षा**– फेज–3 से 8 तक के कार्य जो मार्च–15 तक पूर्ण किये जाने थे, पूर्ण नहीं किये गये, उन कार्यों के कार्यवार की समीक्षा की गई तथा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता से पूर्ण किये जाने की कार्ययोजना एवं सम्भावित तिथि के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। निर्देश दिये गये कि फेज–VIII तक सभी कार्य माह नवम्बर–2015 तक पूर्ण किये जायें।

6. **Age-wise लम्बित वित्तीय अन्तिमीकरण** – भौतिक रूप से पूर्ण लेकिन वित्तीय अन्तिमीकरण हेतु अवशेष 63 कार्यों की Age-wise Format FPP की समीक्षा की गई। भौतिक रूप से पूर्ण कार्यों का वित्तीय अन्तिमीकरण न किये जाने के कारणों पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता से समीक्षा के दौरान जो सम्भावित तिथि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवगत करायी गयी उसको प्रपत्र FPP में अद्यतन करते हुए मुख्यालय स्तर पर एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर पर सप्ताहिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि सभी 63 कार्य विलम्बतम जून–2015 तक पूर्ण कर लिये जायें।

7. **डी0पी0आर0 गठन की समीक्षा एवं निर्मित मार्गों में मिसिंग सेतुओं की डी0पी0आर0 की समीक्षा की स्थिति** – डी0पी0आर0 गठन के गहन की समीक्षा की गई तथा पी0आई0यू0वार डी0पी0आर0 गठन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई जिसके अनुसार अल्मोड़ा वृत्त में 93, ज्योलीकोट वृत्त में 120, पिथौरागढ़ वृत्त में 102, मसूरी वृत्त में 117, गोपेश्वर वृत्त में 74 एवं श्रीनगर वृत्त में 80 अर्थात् कुल 586 डी0पी0आर0 का गठन किया जाना अवशेष है।

8 वनभूमि हस्तान्तरण की समीक्षा –

(i) ऐसी योजनाऐं जो भारत सरकार से स्वीकृत है –

1. **श्रीनगर वृत्त** – कुल 04 प्रस्ताव लंबित बताये गये जिसके सापेक्ष 02 विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार में प्रेषित हैं 01 सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रेषित है तथा 01 प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित किया गया। निर्देश दिये गये कि नोडल अधिकारी से लगातार सम्पर्क में रहते हुए प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।
2. **मसूरी वृत्त** – कुल 16 प्रस्ताव लंबित हैं 03 प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित हैं 11 प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित किये गये है तथा 02 प्रस्ताव पी0आई0यू0 के पास लंबित हैं। जिनमें से 01 प्रस्ताव पी0आई0यू0, उत्तरकाशी और 01 प्रस्ताव पी0आई0यू0, लो0नि0वि0, कालसी के पास आपत्ति निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। निर्देश दिये गये कि प्रस्तावों को शीघ्र नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाये।
3. **गोपेश्वर वृत्त** – कुल 13 प्रस्ताव लंबित बताये गये हैं, जिसके सापेक्ष 04 प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित हैं तथा 09 प्रस्ताव नोडल अधिकरी के पास प्रेषित कर दिये गये।
4. **ज्योलीकोट वृत्त** – कुल 02 प्रस्ताव लंबित बताये गये हैं, जिसमें से 02 प्रस्ताव पी0आई0यू0 नैनीताल के पास लंबित बताये गये। निर्देश दिये गये कि 15 दिनो के अंतर्गत प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाय।
5. **अल्मोड़ा वृत्त** – कुल 06 प्रस्ताव लंबित हैं जिसके सापेक्ष विधिवत स्वीकृति हेतु 02 प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित हैं तथा 04 प्रस्ताव नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दिये गये ।

...3

Created by : Himanshu/Director/CEO Meeting

(ii) फेज–6 से 11 तक के स्वीकृत कार्य जो वनभूमि प्रकरणों के कारण अस्थाई रूप से निरस्त कर दिये गये –

1. **श्रीनगर वृत्त** – उक्त वृत्त में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं बताया गया जो पूर्व में भारत सरकार से स्वीकृत है तथा वनभूमि लंबित होने के कारण अस्थाई रूप से स्थगित किया गया हो।
2. **मसूरी वृत्त** – कुल 14 प्रस्ताव स्थगित बताये गये जिसमें 01 पर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हो गयी, 04 प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये एवं 01 प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया तथा 03 प्रकरण नोडल अधिकारी स्तर पर बताये गये तथा 05 प्रकरण पी0आई0यू0 स्तर पर लम्बित हैं। निर्देश दिये गये कि अधीक्षण अभियन्ता व्यक्तिगत ध्यान देते हुए पी0आई0यू0 स्तर पर लम्बित 05 प्रकरणों को नोडल अधिकारी को प्रेषित करवायें।
3. **गोपेश्वर वृत्त** – कुल 05 कार्य वनभूमि प्रकरण के कारण अस्थाई रूप से स्थगित किये गये हैं जिसके सापेक्ष 02 पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा दोनों प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया तथा 01 प्रकरण नोडल अधिकारी को प्रेषित है।
4. **ज्योलीकोट वृत्त** – कुल 20 मोटर मार्ग की स्वीकृतियों पर वनभूमि प्रकरण लम्बित होने के कारण अस्थाई रूप से रोकी गई हैं जिसके सापेक्ष 03 पर विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया हैं, 02 प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित हैं, 07 प्रकरण नोडल अधिकारी को प्रेषित किये गये तथा 08 प्रकरण पी0आई0यू0 स्तर पर लम्बित बताये गये। निर्देश दिये गये कि पी0आई0यू0 स्तर पर सभी लंबित प्रकरणों को तत्काल नोडल अधिकारी को प्रेषित करें।
5. **अल्मोड़ा वृत्त** – कुल 09 प्रकरण अस्थाई रूप से स्थगित बताये गये जिसके सापेक्ष 02 विधिवत् स्वीकृति प्राप्त हो गयी हैं, 02 प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया, 03 प्रकरण नोडल अधिकारी तथा 02 प्रकरण पी0आई0यू0 स्तर पर लंबित बताये गये।
6. **पिथौरागढ़ वृत्त** – कुल 07 प्रकरण अस्थाई रूप से स्थगित बताये गये जिसके सापेक्ष 2 पर विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित हैं एवं 01 प्रकरण सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित है, 03 प्रकरण नोडल अधिकारी के पास तथा 01 प्रकरण पी0आई0यू0 स्तर पर लम्बित बताया गया। निर्देश दिये गये कि अधीक्षण अभियन्ता प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए लम्बित प्रकरणों को नोडल अधिकारी को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करे।

9. मार्गों पर पी0सी0आई0 डाटा ऐन्ट्री की समीक्षा – वर्तमान तक कुल 62 प्रतिशत मार्गो के पी0सी0आई0 आंकड़े अंकित किये गये है तथा 38 प्रतिशत अधिक मार्गो के पी0सी0आई0 इण्डेक्स ओमास पर अंकित किये जाने अवशेष है। निर्देश दिये गये कि अधीक्षण अभियन्ता व्यक्तिगत ध्यान देते हुए शत–प्रतिशत पी0सी0आई0 डाटा ऐन्ट्री कराना सुनिश्चित करें।

10- **Ist Tier में किये गये निरीक्षणों की समीक्षा** – पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यो में गुणवत्ता सुधार पर निर्देश दिये गये कि इस हेतु Ist Tier गुणवत्ता नियन्त्रण को सुदढ़ किया जाये, जिससे कि Ist Tier द्वारा प्रभावी गुणवत्ता नियन्त्रण किया जा सके। इस हेतु Ist Tier के विभिन्न स्तरों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मार्गो के व्यापक निरीक्षण किये जाये और निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रपत्रो पर ही भेजी जाये। इस सम्बन्ध में यू0आर0आर0डी0ए0 से प्रपत्र निर्धारित किये गये थे, जिसमें सूचना दी जानी थी, लेकिन अत्यधिक खेद का विषय है कि जो सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त हो रही है उसके अनुसार निरीक्षण की संख्या अत्यधिक कम है जो निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भी हो रही है उनमें गुणवत्ता के मानकों का जिक्र न करते हुए अन्य बातें लिखी गई जिसका गुणवत्ता अनुश्रवण से कोई सम्बन्ध नहीं हैं, यह स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक हैं।

निर्देश दिये गये कि प्रत्येक माह मासिक प्रगति आख्या के साथ अधीनस्थ अधिकारियों एवं स्वयं की गुणवत्ता अनुश्रवण एवं नियंत्रण की आख्या भी अधीक्षण अभियन्ता प्रस्तुत करेंगे। अधीक्षण अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं अथवा निर्धारित प्रारूप में गुणवत्ता की रिपोर्ट नही भेजी जा रही हैं, उनका वेतन आहरित नही किया जाय, इसकी प्रवष्टि अधिकरियों की वार्षिक गोपनीय पंजिका में भी की जायेगी।

12. **ऐसी बसावटें जो कोर नेटवर्क में संयोजित हैं, किन्तु वास्तव में असंयोजित हैं तथा ऐसी बसावटें, जो कोर नेटवर्क में अंकित होने से छूट गई हैं, के सम्बन्ध में पूर्व में मांगी गई सूचना की समीक्षा** – ऐसी बसावटों जिनको त्रुटिवश संयोजित दिखाया गया था, को असंयोजित बसावटों में परिवर्तित किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में सूचना मांगी गई थी जो कि निम्नलिखित हैं–

..4

1. **अल्मोड़ा वृत्त** में 500+ आबादी की 15 बसावटें एवं 250+ आबादी की 32 बसावटें कुल 47 बसावटें गलत संयोजित बतायी गई हैं।
2. **ज्योलीकोट वृत्त** में 500+ आबादी की 1 बसावट तथा 250+ आबादी में 1 बसावट कुल 02 त्रुटिपूर्ण संयोजित बतायी गई हैं।
3. **पिथौरागढ़ वृत्त** में 1000+ आबादी की 1 बसावट तथा 500 आबादी की 7 बसावटें तथा 250+ आबादी की 13 बसावटे कुल 21 बसावटें त्रुटिपूर्ण संयोजित बतायी गई हैं।
4. **मसूरी वृत्त** में 1000+ आबादी की 1 बसावट एवं 500+ आबादी की 8 बसावटें तथा 250+ आबादी की 29 बसावटे कुल 38 बसावटें त्रुटिपूर्ण संयोजित बतायी गई हैं।
5. **गोपेशवर वृत्त** में 1000+ आबादी की 3 बसावटे एवं 500+ आबादी की 10 बसावटें तथा 250+ आबादी की 3 बसावटे कुल 16 बसावटें त्रुटिपूर्ण संयोजित बतायी गई हैं।
6. **श्रीनगर वृत्त** में 1000+ आबादी की 4 बसावटे एवं 500+ आबादी की 9 बसावटे तथा 250+ आबादी की 53 बसावटे कुल 66 बसावटें त्रुटिपूर्ण संयोजित बतायी गई हैं।

उपरोक्तानुसार पूरे प्रदेश में 1000+ आबादी की 09 बसावटें, 500+ आबादी की 50 बसावटें तथा 250+ आबादी की 131 बसावटें कुल 190 बसावटें, जिनको त्रुटिवश संयोजित दिखाया गया हैं पर समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

बैठक के अन्त में मुख्य अभियन्ता द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन हुआ।

(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 गढ़वाल/कुमॉऊ क्षेत्र, देहरादून/अल्मोड़ा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय – यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड़।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़, उत्तराखण्ड़।
8. गार्ड पत्रावली।

(ए0के0 दिनकर)
मुख्य अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

दिनांक 15–04–2015 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक की उपस्थिति

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कुमॉऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
5. अधीक्षण अभियन्ता–1, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता–2, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, अल्मोड़ा।
8. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, ज्योलीकोट।
9. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, पिथौरागढ़।
10. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, मसूरी।
11. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, गोपेश्वर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, श्रीनगर।
13. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, जखोली।
14. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, द्वाराहाट।
15. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, डीडीहाट।
16. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा–2।
17. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा–1 ।
18. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, रूद्रप्रयाग।
19. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नैनीताल।
20. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, नरेन्द्रनगर।
21. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पोखरी।
22. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, देहरादून।
23. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, सल्ट।
24. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कपकोट।
25. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, काठगोदाम।
26. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कोटद्वार।
27. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, सतपुली।
28. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कीर्तिनगर।
29. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, बैंजरों।
30. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोहाघाट।
31. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, चम्पावत्।
32. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, बागेश्वर।
33. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कर्णप्रयाग–2
34. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पुरोला।
35. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, उत्तरकाशी।
36. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पिथौरागढ़–1
37. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कालसी।
38. अधिशासी अभियन्ता–1/2, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
39. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, धारचूला।
40. वनाधिकारी–1/2, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
41. सहायक अभियन्ता– I/ II/ III , यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
42. सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पुरोला/सल्ट।
43. आई0एल0ओ0 अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।